दैनिक भास्कर
बिलासपुर 05-09-2025

हाई कोर्ट ने कहा- कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं है पदोन्नति

बिलासपुर | हाई कोर्ट सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012 में किए गए संशोधन को संवैधानिक मानते हुए कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दरअसल, 14 जून 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी, इसके जरिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया था। इस फैसले को कई कर्मचारियों ने चुनौती दी थी। के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि पदोन्नति कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं है। शेष | पेज 3